



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1768 / SEIAA/2022

Date: 29-9-22

प्रति,

मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइस कंपनी,
वार्ड नं. 8, पी.ओ. जैतवारा,
जिला सतना (म.प्र.)


विषय:- प्रकरण क्र. 9269 / 2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइस कंपनी, वार्ड नं. 8, पी. ओ. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्ससाईट, लेटेराईट, ऑकर व वाईट अर्थ खदान, उत्पादन क्षमता बॉक्ससाईट 35273, लेटेराईट 4294, ऑकर 5040, मिनरल रिजेक्ट 9370, ओवरबर्डन 4410 टन प्रतिवर्ष, रकबा 15.78 हेक्टेयर, खसरा 43 भाग, ग्राम कुम्हरा जुडवानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 लिये गये निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 748वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर मानब बसाहट एवं सड़क परिलक्षित हो रही है। प्रस्तावित खदान क्षेत्र में एवं आसपास मानव बसाहट पर खनन कार्य के दौरान प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत कलेक्टर रीवा से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि खदान क्षेत्र के अंदर स्थित मानब बसाहट को शिफ्ट किया जायेगा अथवा नहीं। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये कि प्रस्तावित R & R योजना पर जिला प्रशासन की क्या सहमति प्राप्त की है इस हेतु 10 दिवस में सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है अतः प्रकरण को **Delist** करते हुए कलेक्टर, जिला रीवा को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण को **Delist** किया जाता है, तथा प्रस्तावित R & R योजना पर जिला प्रशासन की क्या सहमति प्राप्त की है अथवा नहीं के संबध में 10 दिवस में प्राधिकरण को सूचित करें।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1769 / SEIAA/2022

दिनांक - 29-9-22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

